

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत (अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु) राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की पदस्थापना हेतु विकल्प पत्र (धारा 9 एवं 12 के अनुसार)

1. अधिकारी का नाम
2. अधिकारी की ID (ऑन लाईन एन्ट्री के अनुसार)
3. वर्तमान धारित पदनाम -
4. मूल पद- (निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी).....
5. कार्यरत कार्यालय/संस्थान का नाम
6. कार्यरत कार्यालय/संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छित राजकीय कार्यालय/संस्थान (विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड) के विकल्प

क्र. सं.	कार्यालय /संस्थान का नाम	पदनाम	मूल पद	विकासखण्ड	जनपद का नाम	कार्यालय /संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर अधिकारी
नाम
पदनाम
कार्यरत कार्यालय /संस्थान का नाम

प्रतिहस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
नाम.....
(संस्था की मुहर)